अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–239/2021 3584

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक– 8 **सितम्बर, 2021**

विषय :– **पंचायत आम निर्वाचन 2021 : अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर/बैनर आदि लगाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कतिपय जिलों से पंचायतों के अभ्यर्थियों एवं निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर/बैनर आदि अपने आवास पर लगा सकते हैं अथवा नहीं। इसी प्रकार यह भी पृच्छा की जा रही है कि वे अपने चुनाव प्रचार हेतु कार्यालय खोल सकते हैं अथवा नहीं एवं प्रचार हेतु प्रयुक्त वाहन पर पोस्टर/बैनर लगा सकते हैं या नहीं ?

2. उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना है कि पंचायत आम निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवास एवं कार्यालय पर या प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर/बैनर आदि लगाये जाने पर आयोग द्वारा कोई रोक नहीं लगायी गयी है।

3. अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं, परन्तु इसकी सूचना वे संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान (चौहदी के साथ) पर अवस्थित है। कार्यालय आदि के खोलने में होने वाला व्यय भी निर्वाचन व्यय की सीमा के अंदर होगा।

4. अनुरोध है कि इसकी सूचना से सभी संबंधित को अविलंब अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञाप संख्या प0नि0 30–239/2021 3584 दिनांकः– 8 **सितम्बर, 2021**

प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर को आयोग के बेवसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञाप संख्या प0नि0 30–239/2021 3584 दिनांकः– 8 **सितम्बर, 2021**

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।